

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

सोमवार, दिनांक 5 मई, 2014 (वैशाख 15, 1936)

माननीय श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

कार्यपालन दण्डाधिकारी, रायपुर की ओर से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र दिनांक 30.04.2014 द्वारा यह सूचना दी गई है कि श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा को द.प्र.सं. (अधिनियम) की धारा 151/107, 116(3) के तहत दिनांक 30.04.2014 को समय 1:30 बजे स्थान नगर निगम कार्यालय, रायपुर में बंदी कर निःशर्त रिहा किया गया।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.